



क्रमांक : एफ 4 ( )आकाशि /नि. सं./ 2020/ 244

दिनांक: 19 मई 2020  
22

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

(नोडल निरीक्षण अधिकारी, NOC निजी महाविद्यालय)

समस्त राजस्थान

विषय:- सत्र 2020-21 में नोडल महाविद्यालयों को निजी महाविद्यालयों के निरीक्षण एवं अन्य कार्यों हेतु आवंटित तहसीलों के सम्बन्ध में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के क्रम में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2021-22 एवं आगामी सत्रों हेतु निजी महाविद्यालयों एवं बी.एड. महाविद्यालयों के निरीक्षण एवं अन्य कार्यों हेतु पूर्व की भांति राजकीय महाविद्यालयों को नोडल महाविद्यालय बनाया जाना है। सत्र 2020-21 में नोडल महाविद्यालयों को आवंटित तहसील के संदर्भ में दूरी/अन्य कोई समस्या है तो वह अपने सुझाव 7 दिवस के अंदर [jdpi.cce@gmail.com](mailto:jdpi.cce@gmail.com) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रदीप कुमार बोरड, IAS

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :

1. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु
2. रक्षित पत्रावली

डॉ. अल्पना व्यास

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएँ)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर